



इटवा पुलिस



प्रेस नोट दिनांक- 04.01.2024

#OPERATION CONVICTION

इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते प्रवर्तन दल (विजिलेंस टीम)के साथ मारपीट/पथराव व सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 03 वर्ष की सजा तथा 10-10,000/- रुपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते प्रवर्तन दल (विजिलेंस टीम)के साथ मारपीट/पथराव व सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 03 वर्ष की सजा तथा 10-10,000/- रुपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13.10.2017 को बिजली चोरी की सूचना पर विजिलेंस टीम देव कुमार पुत्र सुमोद कुमार निवासी पुरबिया टोला नालापार थाना कोतवाली इटावा के कारखाने पर चैकिंग करने पहुंची। देव कुमार उपरोक्त ने चैकिंग किये जाने का विरोध किया तथा अपने भाइयो दिनेश कुमार व अंशुल व अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर विजिलेंस टीम के साथ मारपीट व पथराव करना शुरू कर दिया। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना कोतवाली पर वादी निरीक्षक बृजेश कुमार मिश्र प्रभारी निरीक्षक प्रवर्तन दल, कानपुर जोन की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 861/17 धारा 86/332/353/393/336/323/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 अलाउद्दीन अंसारी द्वारा दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना कोतवाली पुलिस टीम पैरोकार का0 राम सिंह एवं मानीटरिंग सैल व ए0डी0जी0सी0 श्री गौरव दीक्षित द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को आज दिनांक 04.01.2024 को अन्तर्गत धारा 186/332/353/393/336/323/504/506 भादवि में मा0 न्यायालय स्पे0 जज डकैती/ ADJ-III इटावा द्वारा 03 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गयी तथा 10-10,000/- रुपये का अर्थदंड दिया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. देव कुमार पुत्र सुमोद कुमार निवासी पुरबिया टोला नालापार थाना कोतवाली जनपद इटावा
2. दिनेश कुमार उपरोक्त।
3. अंशुल उपरोक्त।